



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032025-261943
CG-DL-E-25032025-261943

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1358]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2025/चैत्र 4, 1947

No. 1358]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2025/CHAITRA 4, 1947

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025

का.आ. 1376(अ).—केंद्रीय सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 15 के साथ पठित, निर्देश देती है कि सभी कंपनियां जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करती हैं और जिनके सूक्ष्म और लघु उद्यम आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वस्तुओं या सेवाओं की स्वीकृति की तारीख या समझी गई स्वीकृति की तारीख से पैंतालीस दिनों से अधिक है, वे निम्नलिखित बताते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय को एक अर्धवार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगे:

(क) देय भुगतान की राशि; और

(ख) देरी के कारण।

[फा. सं. 16/8/2018/ई-पीएंडजी/नीति]

डॉ. रजनीश, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th March, 2025

S.O. 1376(E).—In exercise of powers conferred by section 9 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) and read with section 15 of the said Act, the Central Government hereby directs that all companies who get supplies of goods or services from micro and small enterprises and whose payments to micro and small enterprise suppliers exceed forty five days from the date of acceptance or the date of deemed acceptance of the goods or services as per the provisions of the said Act, shall submit a half yearly return to the Ministry of Corporate Affairs stating the following:

- (a) the amounts of payments due; and
- (b) the reasons of the delay.

[F. No. 16/8/2018/E-P&G/Policy]

Dr. RAJNEESH, Addl. Secy. and Development Commissioner